नई दिल्ली, 28 जनवरी, 1982

सा॰का॰नि॰ 134.—महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1981 का एक प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 626 तारीख 23 जून, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (I) तारीख 4 जुलाई के पृष्ठ 1559—1561 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालिस दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 11 अगस्त 1981 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये अधिनियम की धारा 18 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कलकत्ता, मुम्बई, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम, कांडला, मोरमुगाओ पारादीप, तूतीकोरिन और नव मंगलोर के पत्तन न्यास बोर्डों को लागू होंगे।

2. परिभाषा—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिप्रेत है।

(ख) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3 संदेय फीस—बोर्ड का प्रत्येक न्यासी, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से जहां वह नियुक्त किया जाता है, भिन्न है या कोई अन्य न्यासी, जो सरकार का सेवक या बोर्ड का सेवक है निम्नलिखित फीस का हकदार होगा :—

(1) बोर्ड के प्रत्येक साधारण या विशेष अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए पचास रुपए,

(2) किसी समिति के प्रत्येक ऐसे अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए तीस रुपए, जो बोर्ड के साधारण या विशेष अधिवेशनों के क्रम में या उसकी तैयारी में एक ही दिन में हुए समिति के अधिवेशन से भिन्न है,

परन्तु किसी कलैंडर मास के दौरान हुए बोर्ड के अधिवेशनों और/या समिति के अधिवेशनों की बाबत किसी न्यासी को संदेय फीस की कुल रकम कलकत्ता और मुम्बई पत्तनों की दशा में दो सौ रुपए और अन्य पत्तनों की दशा में एक सौ पचास रुपए से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण—बोर्ड या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित न्यासी इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तक या रजिस्टर में अपने नाम का हस्ताक्षर करेगा।

4. यात्रा भत्ते का संदाय (1) ऐसे न्यासियों से भिन्न, जो सरकार के या बोर्ड के सेवक है, बाहर के ऐसे सभी न्यासी, जो बोर्ड के या उसकी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित हो रहे हैं, नियम 3 के अधीन संदेय फीस के अतिरिक्त यात्रा भत्ता उन मापमान पर प्राप्त करने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम वर्ग के अधिकारियों को संदेय है।

(2) ऐसे न्यासियों से भिन्न, जो सरकार के या बोर्ड के सेवक हैं, बाहर के ऐसे सभी न्यासी, जो बोर्ड या उसकी किसी समिति के किसी अधिवेशन में उपस्थित हो रहे हैं, ऐसी फीस, जो नियम 3 के अधीन संदेय है, और यात्रा भत्ते के अतिरिक्त बोर्ड या समिति के अधिवेशन के स्थान और मुख्यालयों तक और वहां से वापसी के लिए की गई यात्रा की अवधि के लिए दैनिक भत्ते को भी ऐसी दर से हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के उच्चतम वर्ग के अधिकारियों को लागू है।

टिप्पण 1—दैनिक भत्ते के प्रयोजन के लिए, निकटतम संभव मार्ग द्वारा और बोर्ड या समिति के अधिवेशन के स्थान और मुख्यालय से यात्रा की अवधि को यात्रा की अवधि माना जाएगा।

2—इस नियम के प्रयोजन के लिए मुख्यालय न्यासियों के प्रसामान्य निवास स्थान होंगे।

5. किसी ऐसे न्यासी को जो सरकारी का सेवक या बोर्ड का सेवक है, कतिपय भत्तों का संदाय—कोई ऐसा न्यासी, जो सरकार सेवक या बोर्ड का सेवक है और जो बोर्ड या उसकी समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होता है, सेवा नियमों के ऐसे उपबंधों के अनुसार, जो उसे लागू हों यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. किसी न्यासी को जो संसद सदस्य है या राज्य के विधान मंडल का सदस्य है, कतिपय भत्तों का संदाय—नियम 3 के और 4 में किसी बात के होते हुए भी ऐसा न्यासी जो संसद या किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य है संसद (निरर्हता निवारण अधिनियम 1959) 1959 का 10 की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिकरात्मक भत्ते या ऐसे भत्तों से, यदि कोई हों, जिन्हें किसी राज्य के विधान मंडल का कोई सदस्य राज्य विधान मंडल की सदस्यता की निरर्हता निवारण से संबंधित राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, ऐसी निरर्हता उपगत किए बिना प्राप्त करता है, भिन्न किसी फीस का हकदार नहीं होगा।

7. निरसन और व्यावृत्ति—इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित नियम इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही या किया गया कोई आदेश या दिया गया कोई निदेश इन नियमों के तत्स्थानी उपबंध के अधीन यथास्थिति की गई, किया गया या दिया गया समझा जाएगा।

अनुसूची

(नियम 7 देखिए)

क्र०सं०	निरसित नियमों के नाम
1—	महापत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्ता का संदाय) नियम, 1964
2—	मारमुगाओ पत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1964
3—	पाराद्वीप पत्तन न्यास (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1967
4—	मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975
5—	कलकत्ता पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975
6—	मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1975
7—	तूतीकोरिन पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1979
8—	नव मंगलौर पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस और भत्तों का संदाय) नियम, 1980

[पी०डब्ल्यू/पी जी एल-25/80]

एम० आर० अग्रवाल, अवर सचिव

New Delhi, the 28th January, 1982

G.S.R. 134.—Whereas the draft of the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981 was published, as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), at pages 1559—1561 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 4th July, 1981 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 626, dated 23rd June, 1981, inviting objections and suggestions from all persons likely to be effected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 11th August, 1981 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public before the expiry of the period aforesaid ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Act apply to the Port Trust Boards of Calcutta, Bombay, Madras, Cochin, Visakhapatnam, Kandla, Mormugao, Paradip, Tuticorin and New Mangalore.

2. Definitions.—Unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963) ;

(b) words and expressions used in these rules have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Fees payable.—Every Trustee of the Board other than the Chairman and the Deputy Chairman, where appointed,

or any other Trustee who is a servant of the Government or servant of the Board, shall be entitled to a fee of—

(i) rupees fifty for attendance of each ordinary or special meetings of the board ;

(ii) rupees thirty for attendance at each meeting of any committee other than the meeting of the Committee held on the same day in continuation of or preparatory to an ordinary or special meeting of the board ;

Provided that, the aggregate amount of fees payable to any Trustees in respect of the meetings of the Board and/or the Committees held during any calendar month shall not exceed rupees two hundred in the case of Calcutta and Bombay ports and rupees one hundred and fifty in the case of other ports.

Note.—A Trustee present at any meeting of the board or a Committee thereof shall sign his name in a book or register to be kept for the purpose.

4. Payment of Travelling Allowance.—(1) All outstation Trustees, other than those who are servants of the Government or the servants of the Board, attending any meeting of the Board or any of its Committees shall, in addition to such fees as is payable under rule 3, be entitled to receive travelling allowance on the scale applicable to the highest class of officers of the Central Government.

2. All outstation Trustees, other than those who are servants of the Government or the servants of the Board, attending any meeting of the Board or of any if its Committees shall, in addition to such fees as are payable under Rule 3 and travelling allowance, also be entitled, to receive daily allowance at the rate applicable to the highest class of officers of the Central Government for the period of journey performed to and from the place of Board or Committee meeting and Headquarters.

Note I.—For the purposes of daily allowance, the period of journey by the shortest possible route and from the place of Board or Committees meeting and the Headquarters, shall be taken as the period of journey.

Note II.—The Headquarters for the purpose of this rule shall be the normal place of residence of the Trustee.

5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a Government Servant or the servant of the Board.—A Trustee who is a servant of the Government or a servant of the Board and who attends any meeting of the Board or of any of its Committee shall be entitled to receive travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the service rules applicable to him.

6. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of State.—Notwithstanding anything contained in Rules 3 and 4, a Trustee who is also a member of Parliament or a member of the Legislature of a State shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (A) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification of membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualificaion.

7. Repeal and Savings.—On and from the date of publication of these rules the rules mentioned in the Schedule annexed hereto are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or any order made or directions given under the said rules shall be deemed to have been done, taken, made or given, as the case may be, under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE

(See rule 7)

Sr. No	Title of the rules repealed
1	2
1.	Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowance to Trustees) Rules, 1964.
2.	Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964.
3	Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967.
4.	Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
5.	Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
6.	Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.
7	Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979.
8.	Board of Trustees of the Port of New Mangalore (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1980.

[PW/PGL-25/80]

M. R. GATHWAL, Under Secy.